न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम), सहारनपुर।

****

[उपस्थित–(Sanjay Kumar–V)..........(H.J.S), J.O. Code–UP 1773]

UPSP010022172020

सत्र वाद संख्या– 334 सन 2020

उ०प्र०राज्य द्वारा औषधि निरीक्षक

....अभियोजन पक्ष।

बनाम

संजय कुमार पुत्र श्री धूम सिंह निवासी ग्राम असदपुर, करनजली, देवबन्द जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

......अभियुक्त।

अन्तर्गत धारा– 18(c)/27(b)(ii)
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम
थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर।

निर्णय

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता/परिवादी	औषधि निरीक्षक संदीप कुमार
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।
अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री अभय सैनी।
घटना दिनाँक	16.02.2019
परिवाद प्रस्तुत करने का दिनाँक	27.02.2020
आरोप विरचित करने का दिनाँक	16.12.2021
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने का दिनाँक	21.07.2023
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनाँक	24.06.2026
निर्णय घोषित दिनाँक	29.06.2026

दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनाँक	

अभियुक्त के संबंध में संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	नाम अभियुक्त	पेशा	आरोपित अपराध
1.	संजय कुमार	मेडिकल स्टोर	धारा– 18(c)/27(b)(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क– अभियोजन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	जगबीर सिंह, सेवानिवृत सहायक आयुक्त औषधि	तथ्य का साक्षी
2	संदीप कुमार, सहायक आयुक्त औषधि	परिवादी
3	रमेश चन्द, सेवानिवृत सहायक आयुक्त औषधि	विवेचक

अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
प्रदर्श क–1	संलग्नक–5 कागज सं० 10	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–2 ता प्रदर्श क–8	फार्म–16 का.सं.8 क/2 ता 8 क/8	पी०डब्लू० 1
प्रदर्श क–9	संलग्नक–09 का.सं. 23	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–10	का.सं.3 क/1	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–11	का.सं.3 क/2 ता 3 क/3	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–12	का.सं.4 क	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–13	का.सं. 5 क	पी०डब्लू० 2
प्रदर्श क–9 (प्रदर्श क–9 ए)	सीजर मीमो फार्म 16 का.सं. 8 क/1	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–10	फार्म सं० 17 ए का.सं. 6 क/1	पी०डब्लू० 3

(प्रदर्श क–10 ए)		
प्रदर्श क–11 (प्रदर्श क–11 ए)	फार्म सं० 17 ए का.सं. 6 क/2	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–12 (प्रदर्श क–12 ए)	फार्म 18 की कार्बन प्रति का.सं.7 क/1	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–13 (प्रदर्श क–13 ए)	फार्म 18 की कार्बन प्रति का.सं.7 क/2	पी०डब्लू० 3
पी०डब्लू० 3 के बयानों में प्रदर्श क–9 से प्रदर्श क–13 त्रुटिवश पुनः पड़ गये हैं। अतः निर्णय में उक्त संदिग्धता को दूर करने के लिए पी०डब्लू० 3 के बयान के आधार पर पुनः पडे का.सं. 8 क/1 प्रदर्श क–9, का.सं. 6 क/1 प्रदर्श क–10, का.सं. 6 क/2 प्रदर्श क–11, का.सं.7 क/1 प्रदर्श क–12 एवं का.सं.7 क/2 प्रदर्श क–13 को क्रमशः प्रदर्श क–9 ए, प्रदर्श क–10 ए, प्रदर्श क–11 ए, प्रदर्श क–12 ए एवं प्रदर्श क–13 ए पढ़ा जायेगा।		
प्रदर्श क–14	फार्म 18 की कार्बन प्रति का.सं.7 क/3	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–15	फार्म 18 की कार्बन प्रति का.सं.7 क/4	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–16	नमूना सील मोहर का.सं. 9 क	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–17	अनुमति प्रार्थनापत्र का.सं. 11 क/1	पी०डब्लू० 3
प्रदर्श क–18	नोटिस सं० 85/19 का.सं. 11 क/2	पी०डब्लू० 3

ख– बचाव साक्षीगण

साक्षी सं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	प्रपत्र	प्रदर्श संख्या
निल	निल	निल	निल	निल

ग– न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी सं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	प्रपत्र	प्रदर्श संख्या
निल	निल	निल	निल	निल

निर्णय

आरोप परिचय

1. अभियुक्त संजय कुमार को सत्र परिवाद संख्या– 334 सन 2020 में अन्तर्गत धारा– 18(c)/27(b)(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में तलब किया गया।

विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–9, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 18(c)/27(b)(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दिनाँक 16.12.2021 को आरोप विरचित किया गया।

अभियोजन कथानक

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि परिवादी संदीप कुमार, औषधि निरीक्षक की ओर से परिवाद–पत्र **प्रदर्श क–12** दिनाँक 27.02.2020 को विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7, सहारनपुर के समक्ष मुख्यतः इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, "प्रार्थी औषधि निरीक्षक के पद पर जनपद सहारनपुर में जुलाई, 2019 से नियुक्त है तथा राजकीय कर्तव्यों के निर्वाहन में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 32 के अन्तर्गत वादी को वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त है। प्रभार में प्राप्त इस वाद से सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभिलेखों के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अर्न्तगत यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के दिशा निर्देशानुसार गठित संयुक्त टीम में सम्मिलित श्री रमेश चन्द यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, जनपद सहारनपुर व श्री जगबीर सिंह, औषधि निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर मय पुलिस बल के मुखबीर की सूचना के आधार पर कस्बा देबवंद में दिनांक 16.02.2019 को मैसर्स संजय मैडिकल स्टोर, मकबरा रोड (चौक) देवबन्द पर छापा डाला गया। संजय मैडिकल स्टोर पर संजय कुमार पुत्र श्री धूम सिंह निवासी असदपुर, करनजली, देवबन्द बैठा था। दुकान में भण्डारित औषधियों के क्रय–विक्रय बीजक एवं ड्रग लाइसेन्स चाहा गया, जिनको दिखाने में संजय कुमार असमर्थ रहा। जिसके उपरान्त चार संदिग्ध औषधियों के नमूने फार्म 17 ए (संलग्नक–1) एवं फार्म–18 (संलग्नक–2) पर अंकित करते हुए जांच एवं विश्लेषण हेतु लिये गये तथा शेष सभी भण्डारित औषधियों को फार्म 16 (संलग्नक–3) पर नियमानुसार अंकित करते हुए एक प्लास्टिक के बोरे में भरकर सर्व सील मोहर किया गया। भौके पर नमूना सील मोहर (संलग्नक–4) तैयार कर निरीक्षण आख्या बनायी गयी (संलग्नक–5)। औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर तैयार सभी प्रारूपों पर संजय कुमार के हस्ताक्षर कराये गये तथा लिये गये नमूनो के एक–एक सील्ड भाग एवं सभी तैयार प्रपत्रो की एक–एक प्रति संजय कुमार को प्राप्त कराकर मौके से रवाना हुये। श्री रमेश चन्द यादव तत्कालीन औषधि निरीक्षक जनपद सहारनपुर के द्वारा दिनांक 20.02.2019 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–7 जनपद सहारनपुर में उपस्थित होकर ड्रग एक्ट 1940 की धारा 23 (5) बी0 के (संलग्नक–6)। अन्तर्गत जब्त अवैध औषधियों को अपनी अभिरक्षा में रखने की अनुमति प्राप्त की गयी। श्री रमेश चन्द यादव तत्कालीन औषधि निरीक्षक जनपद सहारनपुर के द्वारा संजय कुमार को एक अन्य अवसर प्रदान करते हुये अपने कार्यालय के पत्र सं०–एफ०एस०डी०ए० / सहारनपुर/2019/85 दिनांक 15.03.2019 जारी कर संजय कुमार पुत्र श्री धूम सिंह मैसर्स संजय मैडिकल स्टोर मकबरा रोड, देवबन्द से जब्त की गयी औषधियो के क्रय–विक्रय अभिलेख एव ड्रग लाइसेन्स सात दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया (संलग्नक–7), परन्तु संजय कुमार के द्वारा पत्र का जवाब न देते हुए कोई भी अभिलेख व ड्रग लाइसेन्स कार्यालय में आज तक भी प्राप्त नहीं कराया गया। औषधि निरीक्षक की

संयुक्त टीम के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के समय लिये गये चार संदिग्ध दवाओ के नमूनों को राजकीय जन विश्लेषक उ०प्र० लखनऊ के फार्म 13 पर जांच रिपोर्ट सं० V/631–19, V/632/19, V/633–19, V/634–19 के द्वारा मानक के अनुरूप घोषित किया गया है (संलग्नक–8)। वादी के द्वारा भी अभियुक्त संजय कुमार पुत्र श्री धूम सिंह, संजय मैडिकल स्टोर मकबरा रोड, देवबन्द जनपद सहारनपुर को पत्र स० ओ०नि०सहा०/नोटिस–2019/282 दिनांक 17.12.2019 जारी कर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराते हुए ड्रग लाइसेन्स एवं कार्यवाही में जब्त अवैध औषधियों के क्रय–विक्रय बीजक प्रस्तुत करने को कहा गया (संलग्नक–9)। परन्तु अभियुक्त संजय कुमार के द्वारा कोई भी ड्रग लाइसेन्स एवं क्रय–विक्रय बीजक कार्यालय औषधि निरीक्षक, जनपद सहारनपुर में प्राप्त नहीं कराये गये। अभियुक्त संजय कुमार पुत्र श्री धूम सिंह के द्वारा भण्डारित औषधियों के क्रय बीजक एवं बिना औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त किये औषधियों का भण्डारण कर विक्रय करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 धारा 18(c) का जानबूझकर उल्लंघन किया है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27(b) (ii) में दण्डनीय अपराध है। अतः तलब किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान न्यायालय द्वारा कार्यवाही–

3. विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7, सहारनपुर ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनाँक 27.02.2020 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त संजय कुमार को अन्तर्गत धारा– 18(c)/27(b)(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में प्रसंज्ञान लेकर परिवाद को विशेष परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए विचारण हेतु जरिये समन तलब किया गया। अभियुक्त को तलब कर धारा– 208 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया गया।

आरोप विरचन

4. विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 27.02.2020 के अनुपालन में विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त संजय कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 18(c)/27(b)(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की याचना की।

5. प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 19.09.2025 को **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा– 313** के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण अभिलिखित किया गया। परीक्षण में अभियुक्त ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व तथ्यों से इंकार किया। अभियुक्त द्वारा सफाई–साक्ष्य नहीं देने का कथन कर कहा गया कि मेरी बहन संयोगिता के नाम मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स है, जो विभाग से जारी है। मेरे विरूद्ध गलत केस किया है। मैं निर्दोष हूँ।

6. माननीय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के अन्तरण आदेश दिनाँकित 16.04.2026 के अनुपालन में पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्यपरीक्षा साक्ष्य निम्नवत है तथा साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए कथनों का विश्लेषण यथोचित स्थान पर किया जाएगा–

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी. डब्ल्यू.–1** रिटायर्ड सहायक औषधि आयुक्त जगबीर सिंह ने मुख्यपरीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 16–02–2019 को वह जनपद मुजफ्फरनगर के औषधि निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जनपद सहारनपुर के औषधि निरीक्षक रमेशचन्द के साथ उसे छापामार टीम में शामिल किया गया था। उस दिन वह और रमेशचन्द मकबरा रोड चौक देवबन्द पर स्थित संजय मैडिकल स्टोर पर जाकर उसकी दुकान पर छापा मारा गया था। दुकान का स्वामी संजय कुमार पुत्र धूम सिंह निवासी अशदपुर थाना देवबन्द बैठा पाया गया। उक्त दुकान में भण्डारित औषधियों के सम्बन्ध में उपरोक्त संजय कुमार से औषधि लाइसेन्स एवं भण्डारित औषधियों के क्रय विक्रय के बिल मांगे गये। जिसे उक्त संजय नहीं दिखा पाये। मौके पर मौजूद सभी दवाईयों का फार्म 16 पर सीजर की कार्यवाही करते हुए संकलित किया गया तथा उक्त कथित औषधियों से चार संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किये गये। जिनका तस्करा फार्म 17 ए पर किया गया। बरामदा माल को प्लास्टिक के कट्टे में सील सर्वे मोहर किया गया। श्री रमेशचन्द द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की स्थलीय आख्या मौके पर तैयार की गयी। जो पत्रावली पर परिवाद के साथ संलग्नक 5 कागज संख्या–10 क के रूप में मौजूद है। उसके व रमेशचन्द के हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मौके पर ही फार्म–16 सीजर सम्बन्धित 8 पृष्ठों में मौके पर तैयार किया गया था। उक्त फार्म–16 के सभी पेज परिवाद के साथ पत्रावली पर कागज संख्या–8क/2, 8क/3, 8क/4, 8क/5, 8/6, 8क/7 व 8क/8 के रूप में मौजूद हैं। उपरोक्त सभी प्रपत्रों पर उसके व औषधि निरीक्षक रमेशचन्द व अभियुक्त संजय के हस्ताक्षर हैं। 8क/2 से 8क/4 तक के तीनों पृष्ठ उसके हस्तलेख में है। शेष पृष्ठ रमेश चन्द के हस्तलेख में है। सभी पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। कागज संख्या–8क/2 पर **प्रदर्श क–2**, 8क/3 पर **प्रदर्श क–3**, 8क/4 पर **प्रदर्श क–4**, 8क/5 पर **प्रदर्श क–5**. 8क/6 पर **प्रदर्श क 6**, 8क/7 पर **प्रदर्श क–7**, 8क/8 पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

8. अभियोजन साक्षी **पी० डब्ल्यू०–2** सहायक आयुक्त औषधि, संदीप कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16–02–2019 को तत्कालीन औषधि निरीक्षक रमेश यादव व औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर श्री जगबीर सिंह द्वारा मैसर्स संजय मेडिकल स्टोर मकबरा रोड चौक देवबन्द पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। वहां पर उपरोक्त संजय मेडिकल स्टोर के मालिक श्री संजय कुमार की मौजूदगी में उपरोक्त प्रतिष्ठान में भण्डारित औषधियों के संबंध में जांच की थी, जिसमें प्रतिष्ठान पर मौजूद उपरोक्त संजय कुमार द्वारा उपरोक्त दवाईयों के संबंध में कोई क्रय विक्रय बीजक और वैध औषधि लाईसेंस नहीं दिखा सका था। जिसके संबंध में उपरोक्त दोनों औषधि निरीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठान में भण्डारित औषधियों के 04 नमूने व फार्म 16, 17 ए पर लेते हुए दवाईयों को जब्त कर एक प्लास्टिक के बोरे में भरकर सील सर्वे मोहर किया गया। मौके पर तैयार सभी प्रपत्रों पर संजय कुमार के हस्ताक्षर कराते हुए प्रपत्रों की एक–एक प्रति संजय कुमार को दी गयी थी। मौके पर ही नमूना सील मोहर तैयार किया गया था। तत्कालीन औषधि निरीक्षक सहारनपुर रमेश चन्द्र यादव का स्थानांतरण होने के बाद

साक्षी के द्वारा जुलाई, 2019 में जनपद सहारनपुर में तैनात होने के बाद उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित पत्रावली चार्ज में मिलने के बाद उसका अवलोकन किया गया तथा उपरोक्त संजय कुमार को दिनांक 17–12–2019 को पत्रांक संख्या 2019/282 इसके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर एक नोटिस जब्त औषधियों के सम्बन्ध में व इन्हें भण्डारित करने के वैध औषधि लाईसेंस के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त कराया गया। जिसकी संजय कुमार को प्राप्ति की प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 23 व परिवाद पत्र के संलग्नक संख्या 09 के रूप में मौजूद है। उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में उपरोक्त संजय कुमार द्वारा उसे कोई उत्तर लिखित में नहीं दिया गया और ना ही कोई प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। उसके द्वारा दिनांक 27–02–2020 को सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन करते हुए संजय कुमार पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम असदपुर करंजली थाना देवबन्द के विरुद्ध औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (c)/27 (b) (ii) के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए परिवाद पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर सम्बन्धित कागजात सहित मौजूद है, जो कागज संख्या 3क/1, 3क/2, 3क/3, 4क व 5क के रूप में मौजूद है। इन सभी पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। इनकी सत्यता की तस्दीक करता है। इन पर क्रमशः कागज संख्या 3क/1 पर **प्रदर्श क–10**, कागज संख्या 3क/2 ता 3क/3 पर **प्रदर्श क–11**, कागज संख्या 4क पर **प्रदर्श क–12** तथा कागज संख्या 5क पर **प्रदर्श क–13** डाले गये। उक्त परिवाद पत्र के साथ उसके द्वारा मूल अभिलेख के रूप में फार्म 17ए संलग्नक–1 पृष्ठ 2 तथा संलग्नक 2 फार्म 18 कागज संख्या 3, 4, 5, 6 व फार्म 16 संलग्नक–3 कागज संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तथा संलग्नक 4 नमूना सील मोहर कागज संख्या 15 व संलग्नक 5 स्थलीय निरीक्षण आख्या कागज संख्या–16 तथा संलग्नक–6 औषधियों की कस्टडी की अनुमति कागज संख्या 17 व संलग्नक–7 नोटिस संजय कुमार कागज संख्या 18 तथा भण्डारित औषधियों से लिये गये 04 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्नक–8 कागज संख्या 19, 20, 21, 22 को भी परिवाद के साथ संलग्न कर न्यायालय में प्रेषित किया था। उक्त प्रपत्रों की सत्यता की तस्दीक करता है।

9. अभियोजन साक्षी **पी०डब्ल्यू०–3** सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त (औषधि) रमेशचन्द यादव ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 16–02–2019 को वह जिला औषधि निरीक्षक सहारनपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन सहायक औषधि आयुक्त सहारनपुर के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर, जे०बी० सिंह, औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर के साथ एक छापामार टीम का गठन किया गया था। उस दिन वह सहायक औषधि आयुक्त के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर जे०बी० सिंह के साथ देवबन्द पहुंचा था तथा देवबन्द से आवश्यक पुलिस बल को साथ लेकर मकबरा रोड चौक देवबन्द पर स्थित मैसर्स संजय मेडिकल स्टोर पर अपने साथियों सहित पहुंचकर छापे की कार्यवाई शुरु की थी। उपरोक्त संजय मेडिकल स्टोर पर श्री संजय कुमार पुत्र धूम सिंह, निवासी असदपुर करंजाली, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर मौजूद था। दुकान में विक्रय हेतु भण्डारित एवं प्रदर्शित औषधियां पाई गई थीं, जिनके सम्बन्ध में उक्त संजय कुमार से वैध औषधि लाइसेन्स एवं क्रय विक्रय प्रपत्र मांगे गये थे, जिसे वह दिखाने में असमर्थ रहा था। दुकान में भण्डारित औषधियों के सम्बन्ध में सीजर की कार्यवाही फार्म–16 पर नियमानुसार अंकित करते हुए, शुरु की गई थी तथा उक्त औषधियों में से चार संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किये गये थे। जिनका विवरण फार्म–17A पर अंकित किया गया था। मौके पर उपरोक्त घटना के

सम्बन्ध में स्थलीय आख्या दिनांक 16–02–2019 उसके द्वारा तैयार की गई थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या–16 के रूप में मौजूद है। उसके व D.I. जगबीर सिंह के व अभियुक्त संजय के हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। मौके पर तैयार किये गये सीजर मीमो फार्म 16 भी पत्रावली पर मौजूद है, जिनमें से कागज संख्या 8 क/1 व 8 क/2 ता 8 क/8 के रूप में पत्रावली में मूल रूप से मौजूद है। उसके तथा जे०बी० सिंह तथा अभियुक्त संजय कुमार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। कागज सं०–8 क/1 पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। कागज सं०–8 क/2 ता कागज सं०–8 क/8 पर पूर्व में ही प्रदर्श क–2 ता प्रदर्श क–8 डाला जा चुका है। मौके पर उसके द्वारा फार्म 17A दो पेज में तैयार किया गया था। जिसमें कागज संख्या 6 क/1 पर क्रम संख्या 1 पर टैबलेट Diclopin forte तथा कैप्सूल LabMox के बारे में प्रविष्टि की गई थी तथा फार्म 17A के पेज नम्बर 2, कागज संख्या–6 क/2 पर क्रम संख्या 3 पर कैप्सूल Panpazole DSR तथा क्रम संख्या 4 पर टैबलेट Answell अंकित करते हुए, उक्त औषधियों को संदिग्ध मानते हुए विश्लेषण हेतु नमूने संग्रहित किये थे। उक्त कागज संख्या 6 क/1 व 6 क/2 फार्म संख्या 17A उसके लेख में है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अभियुक्त के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। कागज संख्या 6 क/1 पर **प्रदर्श क 10** तथा कागज संख्या 6 क/2 पर **प्रदर्श क–11** डाला जाता है। उक्त दोनों प्रपत्रों फार्म 16 व फार्म 17A एवं स्थलीय आख्या की कार्बन प्रति अभियुक्त को मौके पर प्रदान की गई थी और उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। फार्म 17A पर अंकित चारों संदिग्ध औषधियों के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु फार्म 18 पर अंकित करते हुए नमूने के साथ भेजे गये थे। फार्म 18 भी औषधिवार चार पेजों में तैयार किया गया था। जिसकी मूल प्रति नमूने के साथ लैब को प्रेषित की गई थी। उक्त फार्म 18 की कार्बन प्रति जो मौके पर मूल के साथ एक ही प्रोसेस के द्वारा उसके द्वारा तैयार की गई थी। उक्त प्रतियां पत्रावली पर कागज संख्या 7 क/1, 7 क/2, 7 क/3, 7 क/4 के रूप में मौजूद हैं। उसके तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। कागज संख्या 7 क/1, 7 क/2, 7 क/3, 7 क/4 क्रमशः **प्रदर्श क–12, प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15** डाला गया। मौके पर उसके द्वारा नमूना सील मोहर तैयार किया गया था, जो पत्रावली पर मूल रूप से कागज संख्या–9 क के रूप में मौजूद है, सील पर उसकी ही मोहर का चिन्ह अंकित है। उसके व अभियुक्त के हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। उसके द्वारा दिनांक 20–02–2019 को बरामदा दवाइयों के सम्बन्ध में A.D.J.C.R. No–7, सहारनपुर में अभिरक्षा में ली गई औषधियों को औषधि निरीक्षक के कार्यालय में रखे जाने हेतु अनुमति लेने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली पर कागज सं० 11 क/1 के रूप में मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। जिस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। उसके द्वारा दिनांक 15–03–2019 को उपरोक्त संजय कुमार को उसके प्रतिष्ठान से बरामदा औषधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी किया गया कोई वैध औषधि लाइसेन्स एवं क्रय विक्रय अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस संख्या 85/2019 प्रेषित किया गया था। जिस की एक ऑफिस प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 11 क/2 के रूप में मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता है। जिस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया।

10. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रमुख अवधार्य बिंदु निम्नवत हैं:–

क्या अभियुक्त ने औषधि या प्रसाधन सामग्री को विक्रयार्थ या विक्रय या स्टाक या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित बिना अनुज्ञप्ति के किया है?

12. उक्त अवधार्य बिंदु का साक्ष्य के अनुक्रम में निष्कर्ष एवं विश्लेषण से पूर्व **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,** 1940 के निम्नांकित उपबंधों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

13. **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,** 1940 की धारा **22, 23 तथा** 25 निम्नवत है:–

22. निरीक्षकों की शक्तियां– (1) धारा 23 के, और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के, उपबंधों के अध्यधीन कोई निरीक्षक उस क्षेत्र की उन स्थानीय सीमाओं के अंदर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है–

(क) (i) किसी ऐसे परिसर का, जिसमें कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है तथा उस औषधि प्रसाधन सामग्री के मानकीकरण और परख के लिए काम में लाए जाने वाले साधनों का निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) किसी ऐसे सपरिसर का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का विक्रय या स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या प्रस्थापन या वितरण किया जा रहा है;

(ख) ऐसी किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के, –

(i) जो विनिर्मित की जा रही है, या विक्रय की जा रही है या स्टाक की जा रही है या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित की जा रही है या वितरित की जा रही है;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री किसी क्रेता या किसी परेषिती को प्रवाहित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी करने के अनुक्रम में है, नमूने ले सकेगा;

(ग) सब युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझता है–

(i) ऐसे किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को अपने शरीर पर छिपाकर रखा है, जिसकी बावत इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है; या

(ii) ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है; या

(iii) किसी ऐसे यान, जलयान, या अन्य सवारी को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका किसी ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को वहन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसके बारे में इस

अध्याय के अधीन कोई अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है,

तथा उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह औषधि प्रसाधन सामग्री है जिसके बारे में अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, लिखित आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक जो बीस दिन से अधिक की न होगी, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के किसी स्टाक का व्ययन न करे, अथवा जब तब कि अभिकथित अपराध ऐसा न हो कि वह त्रुटि औषधि या प्रसाधन सामग्री के कब्जाधारी द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक और ऐसे पदार्थ या वस्तु को अभिगृहीत कर सकेगा, जिसके जरिए वह अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है या जिसे ऐसे अपराध के किए जाने के लिए काम में लाया जाए;

(गग) किसी व्यक्ति के पास या किसी स्थान, यान, जलयान या अन्य सवारी में, जो खंड (ग) में निर्दिष्ट है, पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकता है तो उसे अभिगृहीत कर सकेगा;

(गगक) किसी व्यक्ति से किसी ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के, जिसकी बावत् उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, विक्रयार्थ या वितरणार्थ, विनिर्माण, स्टाक रखने, विक्रयार्थ प्रदर्शन, विक्रयार्थ या वितरणार्थ प्रस्थापन से संबंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस अध्याय या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध इस अध्याय के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को यथाशक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

(2क) खंड (गग) के अधीन अभिगृहीत या खंड (गगक) के अधीन पेश किया गया प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उस व्यक्ति को जिससे वे अभिगृहीत किए गए थे या जिसने उन्हें पेश किया था, उनकी प्रतिलिपियां या उनमें से उद्धरणों के लिए जाने के पश्चात्, जो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए प्रमाणित कर दिए गए हों, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या पेश किए जाने की तारीख के बीस दिन की अवधि के भीतर लौटा दिए जाएंगे।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के द्वारा या अधीन किसी निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसको या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से तब जब उपधारा (1) के खंड (गगक) के अधीन

उससे ऐसा करने की अपेक्षा की गई हो, इन्कार करेगा, तो कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

23. निरीक्षकों की प्रक्रिया– (1) जहां कोई निरीक्षक इस अध्याय के अधीन किसी औषधि [या प्रसाधन सामग्री] का नमूना लेता है वहां वह उसकी उचित कीमत निविदत्त करेगा, और उसके लिए लिखित अभिस्वीकृति अपेक्षित कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन निविदत्त कीमत लेने से इन्कार किया जाता है, या जहां कोई निरीक्षक धारा 22 के खंड (ग) के अधीन किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक को अभिगृहीत करता है वहां वह उसके लिए विहित प्ररूप में पावती का निविदान करेगा।

(3) जहां कोई निरीक्षक किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना, परख या विश्लेषण के लिए लेता है वहां वह ऐसे प्रयोजन की विहित प्ररूप में लिखकर उस व्यक्ति को प्रज्ञापना देगा, जिससे उसको लेता है, और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि वह जानबूझकर स्वयं अनुपस्थित नहीं हो जाता, उस नमूने को चार प्रभागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से मुहरबन्द और उपयुक्त रूप से चिन्हित करेगा और ऐसे मुहरबंद और चिन्हित सब या किन्हीं प्रभागों पर ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और चिन्ह लगाने देगा :

परन्तु जहां नमूना उस परिसर से लिया जाता है, जहां औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है, वहां नमूने को केवल तीन प्रभागों में विभक्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि जहां औषधि या प्रसाधन सामग्री छोटे आकार के पात्रों में बनाई गई है, वहां पूर्वोक्त रूप से नमुने को विभक्त करने की बजाय निरीक्षक उक्त पात्रों में से यथास्थिति, तीन या चार को समुचित रूपेण चिन्हित करके और जहां आवश्यक हो वहां मुहरबंद करके ले सकेगा और यदि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री ऐसी है कि उच्छन्न रहने से उसके क्षय होने या अन्यथा खराब हो जाने की संभाव्यता है, तो लेगा।

(4) निरीक्षक ऐसे विभक्त किए गए नमूने का, यथास्थिति, एक प्रभाग या एक पात्र उस व्यक्ति को लौटाएगा जिससे वह उसको लेता है, और अवशेष को प्रतिधृत रखेगा, और उसका व्ययन निम्नलिखित रूप में करेगा, अर्थात्–

(i) एक प्रभाग या पात्र को तुरन्त सरकारी विश्लेषक को परख या विश्लेषण के लिए भेजेगा;

(ii) दूसरे को वह उस न्यायालय में पेश करेगा, जिसके समक्ष उस औषधि या प्रसाधन सामग्री के बारे में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं; और

(iii) तीसरे को, जहां कि वह लिया गया हो, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, भेजेगा. जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं.

(5) जहां कोई निरीक्षक धारा 22 के खंड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई करता है; वहां

(क) वह यह अभिनिश्चित करने के लिए पूरी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा कि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा 18

के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करती है या नहीं और यदि यह अभिनिश्चित हो गया है कि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री ऐसा उल्लंघन नहीं करती है तो उक्त खंड के अधीन पारित आदेश को तुरन्त प्रतिसंहृत करेगा, या, यथास्थिति ऐसे अभिग्रहीत स्टाक की वापसी के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी आवश्यक हो;

(ख) यदि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक का अभिग्रहण करता है तो वह यथाशक्य शीघ्रता से न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के संबंध में उसके आदेश लेगा;

(ग) किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि अभिकथित उल्लंघन ऐसा है कि त्रुटि का उपचार औषधि या प्रसाधन सामग्री के कब्जाधारी द्वारा किया जा सकता है तो वह अपना यह समाधान हो जाने पर कि त्रुटि का वैसा उपचार किया जा चुका है, उक्त खंड के अधीन अपने आदेश का तुरन्त प्रतिसंहरण करेगा।

(6) जहां कोई निरीक्षक धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (गग) के अधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिकी पदार्थ का अभिग्रहण करता है वहां वह यथाशक्य शीघ्रता से न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उसकी अभिरक्षा के संबंध में उसके आदेश लेगा।

25. सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट– (1) सरकारी विश्लेषक, जिसे परख या विश्लेषण के लिए किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन भेजा गया है, विहित प्ररूप में तीन प्रतियों में एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट उस नमूने को भेजने वाले निरीक्षक को परिदत्त करेगा।

(2) उसकी प्राप्ति पर निरीक्षक उस रिपोर्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया था, और दूसरी प्रति ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टयां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं, परिदत्त करेगा, और तीसरी प्रति को नमूने के बारे में किसी अभियोजन में उपयोग किए जाने के लिए प्रतिधृत रखेगा।

(3) कोई दस्तावेज, जो इस अध्याय के अधीन सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्थित है उसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगी, और ऐसा साक्ष्य निश्चायक होगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, जिससे नमूना लिया गया था, या उस व्यक्ति ने जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं, रिपोर्ट की एक प्रति की प्राप्ति के अट्ठाइस दिन के अन्दर निरीक्षक या न्यायालय को जिसके समक्ष नमूने के बारे में कोई कार्यवाहियां लम्बित हैं लिखकर अधिसूचित न कर दिया हो कि वह रिपोर्ट के प्रतिवाद में साक्ष्य पेश करने का आशय रखता है।

(4) उस दशा के सिवाए जिसमें नमूने की परख या उसका विश्लेषण केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में पहले ही हो गया हो, जहां किसी व्यक्ति ने सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के प्रतिवाद में साक्ष्य पेश करने का अपना आशय उपधारा

(3) के अधीन अधिसूचित कर दिया है वहां न्यायालय स्वप्रेरणा से या परिवादी अथवा अभियुक्त में से किसी की प्रार्थना पर स्वविवेकानुसार उस औषधि या प्रसाधन सामग्री के नमूने को जो धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है उक्त प्रयोगशाला को परख या विश्लेषण के लिए भिजवा सकेगा जो परख या विश्लेषण करेगी और उसके परिणाम की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके प्राधिकाराधीन लिखित रिपोर्ट देगी और ऐसी रिपोर्ट उसमें कथित तथ्यों का निश्चायक साक्ष्य होगी।

(5) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई परख या विश्लेषण का खर्चा परिवादी अथवा अभियुक्त द्वारा संदत्त किया जाएगा जैसा भी न्यायालय निर्दिष्ट करे।

धारा– 94 दंड प्रक्रिया संहिता तलाशी वारंट जारी के अधीन तलाशी लेने का प्रावधान करती है। यदि उक्त वारंट के अधीन तलाशी लिए जाने वाला स्थान बंद है तो तलाशी वारंट के अधीन बंद स्थान की तलाशी लिए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता करती है। जो निम्नवत है–

धारा–100 दंड प्रक्रिया संहिता– **बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे** (1) जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बन्द है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारण्ट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी।

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामन्द नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन–जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किन्तु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में

हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

अवधार्य बिंदु का साक्ष्य के अनुक्रम में विश्लेषण एवं निष्कर्ष:–

14. अवधार्य बिंदु इस आशय का है कि क्या अभियुक्त ने औषधि या प्रसाधन सामग्री को विक्रयार्थ या विक्रय या स्टाक या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित बिना अनुज्ञप्ति के किया है?

15. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा बिना लाइसेंस के औषधीय का विक्रय किया जा रहा था। औषधि निरीक्षक की टीम ने मौके पर पहुंचकर औषधियों को फार्म 16 जप्त किया और कुछ का नमूना फार्म 17 में लेकर एनालिस्ट को भेजा। अभियुक्त के द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि घटनास्थल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभियुक्त से किसी प्रकार की औषधियों की बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जबकि अभियोजन के अनुसार बरामदगी तथा समस्त कार्यवाही लगभग 2 घंटे तक चलती रही और घटनास्थल पर काफी लोग एकत्र रहे। फार्म 16 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न दिनांक को होना दर्शाया गया है। घटनास्थल पर कथित बनाए गए प्रपत्रों पर समस्त छापामार टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से संदिग्ध है।

17. पी0 डब्ल्यू0–1 जगबीर सिंह रिटायर्ड सहायक आयुक्त औषधि ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.02.2019 को मैं जनपद मुजफ्फरनगर के औषधि निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जनपद सहारनपुर के औषधि निरीक्षक रमेश चंद्र के साथ में मुझे छापामार टीम में शामिल किया गया था। उस दिन मैं और रमेश चंद्र मकबरा रोड चौक देवबंद पर स्थित संजय मेडिकल स्टोर पर जाकर उसकी दुकान पर छापा मारा गया था। पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि सहायक औषधि निरीक्षक सहायक मंडल द्वारा गठित संयुक्त टीम में हम केवल दो ही आदमी थे, जिनमें मैं और रमेश चंद्र थे। सहायक औषधि आयुक्त द्वारा लिखित टीम गठित करने का कोई आदेश या प्रपत्र इस समय पत्रावली पर मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे सहायक औषधि द्वारा आदेशित किया गया था। इस समय मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं

है।

18. पी0 डब्ल्यू0–2 संदीप कुमार सहायक आयुक्त औषधि ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.2.2019 को तत्कालीन औषधि निरीक्षक रमेश यादव व औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर श्री जगबीर सिंह द्वारा मैसर्स संजय मेडिकल स्टोर मकबरा रोड चौक देवबंद पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। पी0 डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि सामान्यत सहायक आयुक्त औषधि द्वारा ऐसे किसी निरीक्षण से पूर्व एक टीम गठित करने का लिखित आदेश होता है। यह बात भी सही है कि ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत परिवाद के संबंध में मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यह बात भी सही है कि ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर भी उपलब्ध नहीं है।

19. पी0 डब्ल्यू0–3 रमेश चंद्र यादव सेवानिवृत सहायक आयुक्त (औषधि) ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 16.2.2019 को मैं जिला औषधि निरीक्षक सहारनपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन सहायक आयुक्त औषधि, सहारनपुर के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जे.बी. सिंह औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर के साथ एक छापामार टीम का गठन किया गया था। उस दिन में सहायक आयुक्त के निर्देश पर जिला औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर जे.बी. सिंह के साथ देवबंद पहुंचा था तथा देवबंद से आवश्यक पुलिस बल लेकर मकबरा रोड चौक देवबंद स्थिति में मेसर्स संजय मेडिकल स्टोर पर अपने साथियों सहित पहुंचकर छापे की कार्रवाई शुरू की थी। पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि सामान्यतः छापेमारी कार्यवाही से पहले छापेमारी टीम गठित करने का आदेश होता है। छापेमारी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आदेश छापेमारी टीम गठित करने का पत्रावली पर नहीं है।

20. पी0 डब्ल्यू0–1, पी0 डब्ल्यू0–2 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 के उक्त बयानों से स्पष्ट है कि जब छापेमार टीम का गठन किया जाता है तो टीम गठित करने का लिखित आदेश होता है। छापेमार टीम गठित किए जाने का कोई भी लिखित आदेश पत्रावली पर अभियोजन (परिवादी) की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसे अभियोजन साक्षीगण ने पी0 डब्ल्यू0–1, पी0 डब्ल्यू0–2 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है। जिससे दिनांक 16.2.2019 को सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर छापामार टीम का गठन किया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

21. पी0 डब्ल्यू0–2 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 के उक्त बयानों में आया है कि आवश्यक पुलिस बल लेकर मकबरा रोड चौक देवबंद स्थिति में मेसर्स संजय मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर छापे की कार्रवाई शुरू की गयी, जबकि पी0 डब्ल्यू0–1 के बयानों में आवश्यक पुलिस बल के साथ कथित घटनास्थल पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। पी0 डब्ल्यू0–2 घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। अभियोजन साक्ष्य में पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 ही घटना के समय कथित घटनास्थल पर उपस्थित होने आया है। पी0 डब्ल्यू0–1 ने कथित घटना के समय घटनास्थल पर पुलिस बल होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, जबकि पी0 डब्ल्यू0–3 पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर उपस्थित होकर छापेमारी की कार्यवाही करने का कथन कर रहा है। समान तथ्य के बाबत पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं, जिससे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर छापा मारने की कार्यवाही किया जाना संदिग्ध हो जाता है। जिससे कथित घटनास्थल पर टीम गठित कर छापा मारने की कार्यवाही

किया जाना ही संदिग्ध हो जाता है।

22. पी0 डब्ल्यू0–1 अपने मुख्यपरीक्षा में कथन किया की मौके पर मौजूद सभी दवाइयां का फॉर्म 16 पर सीजर की कार्यवाही करते हुए संकलित किया गया तथा उक्त कथित औषधीय से चार संदिग्ध औषधीय के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किए गए, जिनका तस्कर फॉर्म 17 ए पर किया गया। मौके पर ही फार्म 16 सीजर संबंधित 8 पृष्ठो में मौके पर तैयार किया गया था। उक्त फॉर्म 16 के सभी पेज परिवाद के साथ पत्रावली पर कागज संख्या 8क/2, 8क/3, 8क/4, 8क/5, 8क/6, 8क/7, 8क/8, के रूप में मौजूद है। उक्त सभी प्रपत्रों पर मेरे व औषधि निरीक्षक रमेश चंद्र व अभियुक्त संजय के हस्ताक्षर हैं। 8क/2 से 8क/4 तक तीनों पृष्ठ मेरे हस्तलेख में हैं। शेष पृष्ठ रमेश चंद्र के हस्तलेख में सभी पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं। शिनाख्त करता हूं। कागज संख्या–8क/2 पर प्रदर्श क–2, 8क/3 पर प्रदर्श क–3, 8क/4 पर प्रदर्श क–4, 8क/5 पर प्रदर्श क–5, 8क/6 पर प्रदर्श क–6, 8क/7 पर प्रदर्श क–7, 8क/8 पर प्रदर्श क–8 डाला गया। पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रपत्र फार्म–17 ए पर मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं है।

23. पी0 डब्ल्यू0–2 ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि औषधि निरीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठान में भंडार औषधीय के चार नमूने व फॉर्म 16, 17 ए पर लेटे हुए दवाइयां को जब्त कर एक प्लास्टिक के बोरे में भरकर सील सर्वे मोहर किया गया। मौके पर तैयार सभी प्रपत्रों पर संजय कुमार के हस्ताक्षर करते हुए प्रपत्रों की एक प्रति संजय कुमार को दी गई थी।

24. पी0 डब्ल्यू0–3 ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दुकान में भंडार औषधीय के संबंध में सीजर की कार्रवाई फॉर्म 16 पर नियमानुसार अंकित करते हुए शुरू की गई थी तथा उक्त औषधियों में से 4 संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किए गए थे। जिनका विवरण फार्म 17 ए पर अंकित किया गया था। मौके पर तैयार किये गये सीजर मीमो फार्म–16 भी पत्रावली पर मौजूद है, जिनमें से कागज संख्या–8क/1 व 8 क/2 ता 8 क/8 के रूप में पत्रावली में मूल रूप से मौजूद है। मेरे तथा जे०बी०सिंह तथा अभियुक्त संजय कुमार के हस्ताक्षर मौजूद हैं, कागज सं०–8क/1 पर प्रदर्श क–9 (प्रदर्श क–9ए) डाला गया। मौके पर मेरे द्वारा फार्म 17A दो पेज में तैयार किया गया था। जिसमें कागज संख्या 6 क/1 पर क्रम संख्या 1 पर टैबलेट Diclopin forte तथा कैप्सूल LabMox के बारे में प्रविष्टि की गई थी तथा फार्म 17A के पेज नम्बर 2, कागज संख्या–6 क/2 पर क्रम संख्या–3 पर कैप्सूल Panpazole DSR तथा क्रम संख्या–4 पर टैबलेट Answell अंकित करते हुए, उक्त औषधियों को संदिग्ध मानते हुए विश्लेषण हेतु नमूने संग्रहित किये थे। उक्त कागज संख्या–6क/1 व 6क/2 फार्म संख्या 17A मेरे लेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा अभियुक्त के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता हूँ, कागज संख्या–6क/1 पर प्रदर्श क–10 (प्रदर्श क–10ए) तथा कागज संख्या–6 क/2 पर प्रदर्श क–11 (प्रदर्श क–11ए) डाला जाता है।

25. पत्रावली में दाखिल फार्म–16 में कुल 50 औषधियों का उल्लेख है। उन्हीं 50 औषधीय में से 4 संदिग्ध औषधीय के नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किए जाने तथा उनका विवरण फार्म 17ए पर अंकित किये जाने का उल्लेख पी0 डब्ल्यू0–1 तथा पी0 डब्ल्यू0–3 ने अपने बयानों में किया है। फार्म 17ए पर क्रम संख्या–1 पर tablet

diclopin fort, batch number mutnk 1809 उल्लेखित है। फार्म 16 में प्रदर्श क–4 tablet diclopin fort, batch number mutnk 1805 उल्लेखित है। इस प्रकार बरामद की गई उक्त टैबलेट तथा फॉर्म नंबर 17 ए पर दर्शित की गई टैबलेट का बैच नंबर भिन्न–भिन्न है। जो टैबलेट कथित घटनास्थल से बरामद किया जाने का कथन अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0–3 किया है, वह टैबलेट फार्म 17 ए में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार फार्म 17 में क्रम संख्या–2 पर अंकित capsule Labmox 250 तथा क्रम संख्या–3 पर अंकित capsule panpazote DSR फार्म 16 में उल्लिखित नहीं है। capsule Labmox 250 तथा capsule panpazote DSR का उल्लेख पी0 डब्ल्यू0–3 की मुख्यपरीक्षा में बरामद माल, जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उसमें भी नहीं है। जिससे घटनास्थल से बरामद औषधियों को ही नमूने हेतु लिए जाने के लिए फॉर्म 17 ए में उल्लेखित किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार यही स्पष्ट होता है कि फार्म 17 ए में उल्लिखित औषधि क्रम संख्या 1, 2 व 3 घटनास्थल से बरामद नहीं हुई है। जिससे घटनास्थल पर कार्यवाही का किया जाना संदिग्ध हो जाता है।

26. फार्म–16 प्रदर्श क–5 तथा प्रदर्श क–7 पर जहां पर अभियुक्त संजय के हस्ताक्षर है, वहां पर दिनांक 19.02.19 अंकित है, जबकि अन्य फॉर्म 16 के प्रपत्रों पर अभियुक्त संजय के जहां पर हस्ताक्षर हैं, वहां दिनांक 16.2.19 अंकित है। उक्त प्रपत्र अभियोजन के प्रपत्र और परिवादपत्र के साथ ही दाखिल किए गए हैं। उक्त फार्म–16 पर अभियुक्त संजय के हस्ताक्षर के पास भिन्न–भिन्न दिनांक अंकित की होने के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिससे अभियोजन द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 16.2.19 को किया जाना संदिग्ध हो जाता है।

27. पी0 डब्ल्यू0–1 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि छापेमार की कार्रवाई में मौके पर जनता की काफी भीड़ थी। हमने गवाह करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था। किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, जिसे मैंने गवाही के लिए कहा हो और उसने गवाही देने से मना कर दिया हो।... हम घटनास्थल पर करीब 12:00 बजे पहुंच गए थे और 2:30 बजे तक मौजूद रहे। यह बात सही है कि स्थलीय आख्या में हमारा मौके पर 12:00 बजे पहुंचना व 2:30 बजे कार्यवाही समाप्त करना नहीं लिखा है।

28. पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह बात सही है कि जैसी छापेमारी कार्यवाही की बात मैं न्यायालय में बता रहा हूं, इसके सम्बन्ध में जनता का कोई गवाह नहीं है।

29. इस प्रकार घटनास्थल पर लगभग ढाई घंटे छापा मारने की कार्यवाही चलती रही जनता के कई लोग उक्त कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर उपस्थित रहे, फिर भी किसी भी जनता के व्यक्ति को उक्त कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया समस्त कार्रवाई को संदिग्ध करता है।

30. इस सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा पारित निर्णयज विधि **इंदु अंसारी बनाम उ०प्र०राज्य 2014 (17) R.C.R. (Criminal) 647** में यह अवधारित किया गया है कि जनता का कोई गवाह प्रस्तुत न करना मामले को कमजोर बना देता है।

31. **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा **फिरोज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 सी०बी०सी० पेज 65** में यह अवधारित किया गया है कि यदि जनता के गवाह मामले में शामिल किये जा सकते थे, परंतु नहीं किये गये तो यह प्रतिकूल

अवधारणा की जाएगी कि जिस प्रकार की घटना अभियोजन द्वारा बताई गई है, ऐसी घटना घटी ही नहीं। प्रश्नगत मामले में ना तो जनता का कोई साक्षी बनाया गया, जबकि मौके पर अनेकों जनता के लोग उपलब्ध हो सकते थे। जनता के व्यक्ति को साक्षी ना बनाना अभियोजन के मामले को पूर्ण रूप से संदेहजनक बना दे रहा है।

32. स्थलीय आख्या प्रदर्श क–1 में घटनास्थल पर पहुंचने तथा कार्यवाही समाप्त करने का समय उल्लिखित नहीं है। पुलिस बल के कौन–कौन से सदस्य छापे की कार्रवाई में सम्मिलित रहे, इसका भी उल्लेख नहीं है। जिससे औषधि निरीक्षक की टीम घटनास्थल पर कब पहुंची तथा कब कार्यवाही समाप्त की गई और कितने पुलिस बल के साथ पहुंची, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिससे औषधि निरीक्षक की टीम का घटनास्थल पर पहुंचना संदिग्ध हो रहा है।

33. पी0 डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेडिकल स्टोर दक्षिण मुहाना है। मेडिकल स्टोर के उत्तर, पूरब, पश्चिम में क्या है, मुझे नहीं पता। इन दिशाओं में खाली जगह है या किसी की दुकानें हैं, मुझे मुझे नहीं पता। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–3 जिसके द्वारा घटनास्थल पर छापे की कार्यवाही संपादित की गई, उसके द्वारा उक्त घटनास्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर में खाली जगह है अथवा दुकान हैं, इस तथ्य के संबंध में ना बता पाना पी0 डब्ल्यू0–3 का घटनास्थल के संबंध में कोई जानकारी ना होना दर्शित करता है।

34. परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध गलत केस किया है। मैं निर्दोष हूं। गलत व झूठा चालान पेश किया व झूठा मुकदमा चला है। झूठी कार्रवाई दिखाई गई है, झूठा बयान दिया है।

35. उपर्युक्त समग्र विवेचना से स्पष्ट है कि पी0 डब्ल्यू0–3 को घटनास्थल के संबंध में जानकारी नहीं है। औषधि निरीक्षक की टीम का घटनास्थल पर पहुंचना संदिग्ध है। जनता के व्यक्ति उपलब्ध होने पर कार्यवाही का साक्षी जनता के व्यक्ति को ना बनाया जाना कार्यवाही को संदिग्ध कर रहा है। फार्म 16 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर के पास भिन्न–भिन्न दिनांक अंकित होना अभियोजन द्वारा की गई कार्यवाही को संदिग्ध करता है। फार्म 17ए में क्रम संख्या 1, 2 व 3 उल्लिखित औषधीय फॉर्म 16 में उल्लिखित ना होने से घटनास्थल पर की गई कार्यवाही के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है। दिनांक 16.2.2019 को सहायक आयुक्त औषधि, सहारनपुर छापामार टीम का गठन किए जाने का कोई लिखित आदेश नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक के अनुसार कथित कार्यवाही किया जाना संदिग्ध है। उपर्युक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

36. अभियुक्त संजय कुमार, सत्र वाद संख्या–334 सन् 2020 आरोप अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b)(ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संजय कुमार को सत्र वाद संख्या–334 सन् 2020 में आरोप अन्तर्गत धारा– 18(c)/27(b) (ii) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम थाना–देवबन्द, जिला सहारनपुर से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसका व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा उसके जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–437A दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हेतु अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूति अपील की अवधि के लिए तथा अपील होने की दशा पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाबत प्रभावी रहेगा।

प्रकरण में बरामदशुदा संपत्ति, अपील समय अवधि के पश्चात अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्ट की जाए।

निर्णय की एक प्रति धारा– 365 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा–406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत **जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर** को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक 29.06.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 29.06.2026

(संजय कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.29 17:08:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court